

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जून 2014—ज्येष्ठ 15, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-1-2014-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014 के द्वारा राज्य सरकार ने होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील के विकास खण्ड एवं तहसील बाबई में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये बाबई में पृथक मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील के विकास खण्ड एवं तहसील बाबई में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये बाबई में एक मंडी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th June 2014

No. D-15-1-2014-XIV-3.—WHEREAS, vide this department Notification No. D-15-1-2014-14-3 Bhopal, dated 8-1-2014 issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973) the State Government had declared its intention to establish a Seprete market at Babai for regulating the purpose and sale of the Agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, in all revenue and forest villages of the area of Development Block and Tehisl Babai in Hoshangabad district.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973) the State Government hereby establish a separate market at Babai of Tehsil of District Hoshangabad including in all revenue and forest villages of the area of development Block and Tehsil Babai for regulaing the purchase and sale Agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—चूँकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-26-98-चौदह-3, दिनांक 26 सितम्बर 2003 द्वारा जिला होशंगाबाद की बाबई व होशंगाबाद तहसील के मंडी क्षेत्र होशंगाबाद में (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है) उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूँकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-1-2014-चौदह-3, दिनांक 8 जनवरी 2014 द्वारा होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील के विकासखण्ड बाबई स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को अपवर्जित करते हुये उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने का अपना आशय प्रकट किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से “उक्त मंडी क्षेत्र” को होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील की होशंगाबाद मंडी के “उक्त दिनांक से” “उक्त क्षेत्र से” विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th June 2014

No. D-15-1-2014-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D-15-26-98-XIV-3 dated 26-09-2003 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area of Development Block Hoshangabad and Babai in Tehsil Hoshangabad and Babai of Hoshangabad District, (here in after referred to as the “said market area.”).

AND, WHEREAS, by this department Notification No. D-15-1-2014-XIV-3 dated 8-1-2014 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to establish a seprate market at Babai by split up there from the area comprising of villages situated in Babai development Block and Tehsil of Babai of Hoshangabad district, (here in after referred to as said area).”.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by Signifies its intention to establish a seprate market at Babai by split up the “said market area” from the “said area”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (24 सन् 1973), की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति बाबई के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगर पंचायत बाबई, तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 12.50 एकड़ भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (3)
1	शासकीय भूमि के 137/1	12.50
	कुल योग . .	12.50

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्रीमती पार्वती बाई बेवा स्व. श्री श्याम सिंह की भूमि.

दक्षिण में—श्मशान की भूमि.

पूर्व में—श्री उदयसिंह वल्द श्री दीनदयाल की भूमि.

पश्चिम में—कुचबंदिया समाज की श्मशान भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th June 2014

No. D-15-1-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Babai has been established by this department's Notification even No. dated 5 June 2014 shall be market yard namely:—

PALCE

An area of 12.50 Acre land of bellow mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Babai in Tehsil Babai of District Hosangabad:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Acre) (3)
1	Govt. Land of 137/1	12.50
	All Total . .	12.50

BOUNDED BY

On the North by—Land of Smt. Parvati Bai Late Shri Shayam Singh.

On the South by—Samshan Land.

On the East by—Land of Shri Uday Singh S/o Shri Deendayal.

On the West by—Samshan Land of Kuchbandiya Society.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति बाबई होशंगाबाद के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) नगर पंचायत बाबई, तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

(1) रजौन (2) जावली (3) शुक्करवाड़ा (4) कुठारिया (5) बज्जरवाड़ा (6) सिलारी (7) समौन (8) डागीवाड़ा (9) भानपुर (10) चीचली (11) सिरवाड़ (12) आँखमऊ (13) गुजरवाड़ा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th June 2014

No. D-15-1-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market Yard vide this department Notification even Number dated 5 June 2014 the following area of Babai of district Hoshangabad shall be market yard namely:—

AREA

(1) An area within the limit of Nagar Panchayat Babai in Tehsil Babai of District Hoshangabad.

(2) An Area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Mandi Market yard namely:—

(1) Razon (2) Jaavali (3) Shukkarwada (4) Kuthariya (5) Bajjarwada (6) Silari (7) Samoun (8) Dangiwada (9) Bhanpur (10) Chichli (11) Sirwad (12) Aankhmou (13) Gujjarwada.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.